UPKN010064372026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, कानपुर–नगर।
जमानत प्रार्थनापत्र सं0 2212/2026

सुशील सिंह उम्र 32 वर्ष पुत्र भजन सिंह निवासी ग्राम रेऊना दहेली, थाना रेऊना कानपुर नगर। .....आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), कानपुर नगर।
.....विपक्षी

मु0अ0सं0–237/2026
धारा–303(2), 317(2), 317(5) बी0एन0एस0
थाना–पनकी, कानपुर नगर

12.06.2026

1. प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त सुशील सिंह की ओर से मुकदमा अपराध सं0 237/2026, धारा–303(2), 317(2), 317(5) बी0एन0एस0, थाना पनकी, कानपुर नगर में जमानत हेतु संस्थित किया गया है।
2. संक्षिप्त अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा प्रशांत जौहरी द्वारा तहरीर इस आशय की प्रस्तुत की गयी कि वह पीआर ट्रांसपोर्ट कंपनी का प्रोपराइटर है। उसकी कंपनी की गाड़ी/ट्रेलर सं0 आरजे 14जीडी 4431 दिनांक 12.05.2026 को पनकी कानपुर नगर स्थित सेल यार्ड से 30.730 टन सरिया/टीएमटी बिल्टी नं0–70533 पर ईसीआर बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड स्थित लखनऊ जाने के लिये लोड हुई थी। उक्त गाडी को चालक सुशील सिंह लेकर गया था जहॉ पर दिनांक 13.05.2026 को गाडी का कांटा/वजन हुआ तो 27.465 टन ही सरिया निकला जिसमें से 3.265 टन सरिया चोरी हुआ। उक्त चालक सुशील सिंह गाडी खड़ी कर अपना मोबाइल बंद कर भाग गया।
3. उक्त तहरीर के आधार पर थाना पनकी, कानपुर नगर में सुशील सिंह व सुशील सिंह के साथी नाम, पता अज्ञात के विरूद्ध मु0अ0सं0 237/2026, धारा–303(2) बी0एन0एस0 के अन्तर्गत दिनांक 17.05.2026 को अभियोग पंजीकृत किया गया। फर्द बरामदगी के आधार पर प्रकरण में धारा 317(2), 317(5) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी।
4. फर्द बरामदगी के अनुसार दिनांक 18.05.2026 को उ0नि0 विकास वर्मा द्वारा हमराही कर्मचारियों के साथ मुखबिर की सूचना के आधार पर गैस प्लाण्ट के सामने ढाबे के पीछे से सुशील सिंह को पकडा गया जिसके पास से एक ओप्पो मोबाईल फोन व 10,160/–रू0 बरामद हुए तथा लोहे के 52 नग तीन सूती मोटी 12एमएम लगभग 40 फिट लम्बी सरिया जमीन पर रखे बरामद हुए।
5. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि उसका यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। अभियुक्त, वादी मुकदमा के यहॉ गाडी चालक की नौकरी करता था और वेतन बकाया होने के कारण कहासुनी हुई थी उसी खुन्नस में पुलिस से सांठगांठ कर

उसे फंसा दिया गया है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा वह दिनांक 19.05.2026 से कारागार में निरूद्ध है। अभियुक्त जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा, अतः जमानत स्वीकार की जाये।

6. राज्य की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुये तर्क दिया गया है कि अभियुक्त, वादी मुकदमा के यहॉ चालक की नौकरी करता था और वादी की फर्म वाहन पर 30.730 टन सरिया/टीएमटी लेकर लखनऊ के लिए निकला तथा रास्ते में। उक्त गाडी को चालक सुशील सिंह लेकर गया था तथा 3.265 टन सरिया चोरी कर ली। अभियुक्त को पकडे जाने पर एक ओप्पो मोबाईल फोन व 10,160/—रू0 बरामद हुए तथा लोहे के 52 नग तीन सूती मोटी 12एमएम लगभग 40 फिट लम्बी सरिया जमीन पर रखे बरामद हुए। मामले में विवेचना अभी प्रचलित है, अतः जमानत निरस्त की जाये।
7. मैने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।
8. निर्णय विधि **उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अमरमणि त्रिपाठी (2005) 8 एस0सी0सी0 21** मे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह धारित किया गया है कि जमानत प्रार्थनापत्र के निस्तारण के समय निम्नलिखित बिन्दुओं पर न्यायालय को विचार करना चाहिए—
   1. क्या अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्ट्या अथवा युक्तियुक्त आधार पर यह विश्वास करने का है कि उसने अपराध कारित किया है।
   2. आरोप की प्रकृति एवं गम्भीरता।
   3. दोषसिद्धि की दशा मे दण्डादेश की कठोरता।
   4. जमानत प्रदान किये जाने पर अभियुक्त के फरार होने का भय।
   5. अभियुक्त का चरित्र, व्यवहार, साधन व स्थिति।
   6. अपराध के पुनरावृत्ति की सम्भावना।
   7. साक्ष्यों को प्रभावित करने का युक्तियुक्त भय।
   8. जमानत स्वीकार किये जाने की दशा मे न्यायहित समाप्त होने का भय।
   9. अपराधिक इतिहास।
9. अभियुक्त को पकडे जाने पर उसके कब्जे से एक ओप्पो मोबाईल फोन व 10,160/—रू0 बरामद हुए तथा पास में रखी लोहे की 52 नग तीन सूती मोटी 12एमएम लगभग 40 फिट लम्बी सरिया बरामद हुई। अभियुक्त पर आरोपित आरोप सात वर्ष से कम की सजा से दण्डनीय है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा वह दिनांक 19.05.2026 से कारागार में निरूद्ध है। अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। कथित गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में जनता के किसी स्वतंत्र व्यक्ति को साक्षी नहीं बनाया गया है। मामले में विवेचना अभी प्रचलित है।
10. मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण—दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना अभियुक्त को जमानत प्रदान किए जाने का आधार पर्याप्त है। तद्नुसार जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

11. आवेदक/अभियुक्त सुशील सिंह का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मु0 30,000/—(तीस हजार) रूपये के व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि के दो प्रतिभू संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार दाखिल किये जाने पर उसे जमानत पर रिहा किया जाए।
12. आदेश की एक प्रति रिमाण्ड पत्रावली मे संलग्न किए जाने हेतु संबंधित न्यायालय को प्रेषित की जाए।
13. आदेश की एक प्रति जेल अधीक्षक, जिला कारागार, कानपुर नगर को जरिए ई—मेल

इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाए कि आदेश का इन्द्राज e-prison software मे करें और यदि 7 दिन के अन्दर अभियुक्त रिहा नहीं होता है तो उसकी सूचना सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रदान करें। इसके अलावा यदि अभियुक्त आदेश पारित होने के एक माह तक रिहा नहीं होता है तो इसकी सूचना संबंधित न्यायालय, जिसके द्वारा आदेश पारित किया गया, को अविलम्ब प्रेषित करें।

(सपना त्रिपाठी–I)
आई.डी. यू.पी.6103
प्रभारी सत्र न्यायाधीश/
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0–1
कानपुर नगर।

दिनांकः 12.06.2026
मनोज

Digitally signed by Sapna Tripathi
Date: 2026.06.12 16:08:26 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court